विहंगावलोकन

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के तहत होती है।

31 मार्च 2016 को राजस्थान में 54 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) जिसमें 48 कार्यरत कम्पनियां, तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें लगभग एक लाख कर्मचारी नियोजित थे। कार्यरत पीएसयूज ने उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2015-16 हेतु ₹ 54834.65 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 8.13 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के पीएसयूज की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2016 को 54 पीएसयूज में ₹ 124810.19 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) था। यह 2011-12 के ₹ 59724.03 करोड़ से 108.98 प्रतिशत बढ़ गया। ऊर्जा क्षेत्र ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान किये कुल निवेश का 92.06 प्रतिशत प्राप्त किया था। राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान पूंजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 50655.12 करोड़ का अंशदान किया।

पीएसयूज का निष्पादन

वर्ष 2015-16 में, 51 कार्यरत पीएसयूज में से, 23 पीएसयूज ने ₹ 843.83 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 19 पीएसयूज ने ₹ 13217.71 करोड़ की हानि वहन की। पांच पीएसयूज में वर्ष 2015-16 हेतु न लाभ व न हानि थी जबकि दो पीएसयूज ने अपने समामेलन से अब तक वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे तथा दो पीएसयूज के लेखे देय नहीं थे। साथ ही, 51 पीएसयूज में से 18 पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2015-16 के दौरान समामेलित हुये थे, ने 2015-16 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी। इस प्रकार, इन पीएसयूज की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया। सरकार को इन पीएसयूज की व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 349.58 करोड़) एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 200.33 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे। विद्युत कम्पनियों यथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3504.00 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4462.91 करोड़) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3273.87 करोड़) ने भारी हानियां वहन की थी।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक अंतिम रूप दिये गये 55 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 22 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र एवं एक लेखे पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिया। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 47 मामले थे।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2016 को 12 कार्यरत पीएसयूज के 20 लेखे बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज में से दो पीएसयूज के चार लेखे बकाया थे। सरकार अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

इस प्रतिवेदन में 10 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं यथा 'राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कालीसिंध तापीय उर्जा परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा' एवं 'राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टिकटिंग गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 584.94 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कालीसिंध तापीय उर्जा परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने कालीसिंध तापीय (कोयला आधारित) विद्युत परियोजना (केएटीपीपी) को अपनी ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007-12) में सम्मिलित किया तथा केएटीपीपी की दो इकाइयों (प्रत्येक 500 एमडब्ल्यू) को स्थापित करने के लिए ₹ 4600 करोड़ की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जून 2007)। अन्तर्राष्ट्रीय निविदादाताओं की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित क्षमता को 1200 एमडब्ल्यू (2 × 600 एमडब्ल्यू) तक बढ़ा दिया (जून 2007)। निष्पादन लेखापरीक्षा में टीसीई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने से लेकर संयंत्र की स्थापना के साथ, 2015-16 तक के निष्पादन को शामिल करते हुऐ केएटीपीपी की समस्त गतिविधियां समाहित हैं।

केएटीपीपी को स्थापित करना

डीपीआर में संयंत्र को स्थापित करने की लागत ₹ 5495.07 करोड़ परिकल्पित की गई थी (अक्टूबर 2007)। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा अनुमानित लागत को ₹ 7723.70 करोड़ तक संशोधित किया गया (मई 2011) तथा इसको पुनः संशोधित कर ₹ 9479.51 करोड़ किया गया (मार्च 2014) जिसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया (अगस्त 2011 एवं अगस्त 2014)। केएटीपीपी की दोनों इकाइयां

₹ 9479.51 करोड़ की कुल लागत पर स्थापित की गई। संयंत्र को स्थापित करने की वास्तविक लागत अनुमानित लागत (₹ 4600 करोड़) से 106.08 प्रतिशत तक बढ़ गई। राज्य सरकार द्वारा ₹ 1895.90 करोड़ की समता पूंजी सहायता (20 प्रतिशत) प्रदान की गई तथा ₹ 7583.61 करोड़ के शेष कोषों (80 प्रतिशत) की व्यवस्था कम्पनी द्वारा पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी)/ वाणिज्यिक बैंकों से उधारी के माध्यम से की गई।

डीपीआर में अभिकल्पित लागत की तुलना में 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) अनुबंध की लागत में बढ़ोतरी (₹ 1852 करोड़); जल संग्रहण प्रणाली (₹ 764.05 करोड़); रेलवे साइडिंग के निर्माण (मार्च 2015 तक ₹ 153.85 करोड़ एवं मार्च 2016 तक कार्य प्रगति पर था); तथा निर्माण की अवधि के दौरान ब्याज एवं वित्त लागत (₹ 1881 करोड़) के कारण अधिक हुई। इसके अतिरिक्त, स्टोर शेड/ हॉस्टल का निर्माण; फायर टेण्डर एवं डोजर; तृतीय पक्ष निरीक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के सहायक कार्यो को भी डीपीआर में अभिकल्पित नहीं किया जिसने परियोजना लागत को बढ़ाया।

परियोजना की स्थापना के लिए कार्यादेश बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई (बीजीआर एनर्जी) को मोलभाव कर ₹ 4900.06 करोड़ के मूल्य पर दिया (अक्टूबर 2008)। अनुबंध के मूल्य में 405 मिलियन यूएस डॉलर की आयातित आपूर्तियां एवं ₹ 3296.665 करोड़ की स्थानीय (भारतीय) आपूर्तियों/ सेवाओं को सम्मिलित किया गया।

प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि क्रमशः अक्टूबर 2011 तथा जनवरी 2012 थी। इकाइयां 31 तथा 42 माह की देरी के बाद क्रमशः 7 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2015 को स्थापित की गई। परियोजना की पूर्णता में देरी का कारण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी (सात माह) तथा बीजीआर एनर्जी द्वारा विभिन्न मुख्य गतिविधियों की पूर्णता में समय अनुसूची की अनुपालना नहीं किया जाना था। मुख्य गतिविधियों यथा बॉइलर लाइटअप, ऐश हेंडलिंग प्लाण्ट, कोल हेंडलिंग प्लाण्ट एवं कूलिंग टावर इत्यादि को प्रथम इकाई के मामले में 18 से 41 माह एवं द्वितीय इकाई के मामले में 28 से 53 माह की देरी से पूर्ण किया गया। जनरेटर ट्रांसफॉरमर्स की आपूर्ति का कार्यादेश दोनों इकाइयों की स्थापना की अनुसूचित तिथि समाप्त हो जाने के बाद दिया गया (फरवरी 2012)। साथ ही, बीजीआर एनर्जी ने इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल कार्यो के लिए उप विक्रेताओं को कार्यादेश, ईपीसी अनुबंध दिये जाने की तिथि से दो साल से अधिक की देरी के बाद जारी किये। उप विक्रेताओं ने भी सामग्री की आपूर्ति/ मैकेनिकल एवं सिविल कार्य पूर्ण करने में दो साल से अधिक की देरी की। संचालक मण्डल ने कई बार परियोजना की पूर्णता में देरी के मामले की चर्चा की (मार्च 2009 से मई 2014) लेकिन मार्च 2009 से मई 2014 के मध्य शास्ति (एलडी) आरोपित किये जाने के मामले को छः बार स्थगित कर दिया।

बीजीआर एनर्जी के अनुबंध का मूल्य स्थिर था। कम्पनी को अनुबंध के अनुसार आयातित आपूर्तियों के लिए ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की स्थिर दर पर भुगतान किया जाना था तथा विनिमय दर के कारण होने वाले किसी अंतर को बीजीआर एनर्जी द्वारा वहन किया जाना था। कम्पनी ने एक यूएस डॉलर ₹ 44.32 से ₹ 66.88 के मध्य विचरित दर पर खरीदे एवं ₹ 295.29 करोड़ के विनिमय दर अंतर की वसूली किये बिना यूएस डॉलर में भुगतान किये। इस कारण कम्पनी पर केन्द्र/ राज्य सरकार को करों के भुगतान के पेटे ₹ 19.40 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ा। साथ ही, कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी (27 जुलाई

2009) अधिसूचना एवं कार्यादेश के वाक्यांशों के उल्लंघन में ₹ 48.21 करोड़ के श्रम उपकर के पुनर्भुगतान द्वारा बीजीआर एनर्जी को अदेय वित्तीय लाभ पहुंचाया।

सिविल कार्य

राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने कालीसिंध नदी पर बांध के निर्माण की लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करने की सहमति दी लेकिन इसने कोई व्यय वहन नहीं किया तथा सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की गई। कम्पनी ने 2007-16 के दौरान डब्ल्यूआरडी को ₹ 696.37 करोड़ के कोष जारी किये लेकिन डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली लागत की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इरकॉन निर्दिष्ट समयावधि में रेलवे साइडिंग के निर्माण को पूरा नहीं कर सका तथा कम्पनी ने फरवरी 2012 से अक्टूबर 2015 के दौरान सात बार (50 माह) समय बढ़ाया तथा प्रतिबद्ध प्रभारों के अतिरिक्त फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों के पेटे ₹ 6.26 करोड़ (मार्च 2015 तक) के भुगतान किये।

केएटीपीपी की परिचालन दक्षता

केएटीपीपी, प्लाण्ट लोड फेक्टर; स्टेशन हीट रेट; ईंधन तेल उपभोग एवं सहायक उपभोग के संबंध में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निश्चित किये गये परिचालनात्मक मापदण्डों को प्राप्त नहीं कर सका। परिचालनात्मक मानदण्डों को प्राप्त नहीं करने/ अनुपालना नहीं करने के कारण 2014-16 के दौरान ₹ 1744.06 करोड़ मूल्य की 4217.86 एमयूज के उत्पादन में कमी; ₹ 177.34 करोड़ मूल्य के 4.34 लाख एमटी कोयले का अधिक उपभोग; 22723 किलोलीटर तेल (₹ 99.25 करोड़) का अधिक उपभोग; तथा ₹ 51.67 करोड़ मूल्य की 127.70 एमयूज की हानि हुई। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निश्चित किये गये संयंत्र उपलब्धता मानदण्ड (85 प्रतिशत) भी प्राप्त नहीं किये। प्रथम इकाई 2014-15 के दौरान फोर्स्ड आउटेज के कारण कुल उपलब्ध 7896 परिचालनात्मक घण्टों में से 4431.45 घण्टों (56.12 प्रतिशत) तक अचालित रही।

पर्यावरणीय मामले

कम्पनी ने पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तानुसार केएटीपीपी पर पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया (जुलाई 2016)। केएटीपीपी पारटीकूलेट मैटर; सल्फर डाइ ऑक्साइड; एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडस के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मापदण्डों को प्राप्त करने में विफल रहा। साथ ही, वायु एवं ध्वनि प्रदुषण को मापने के लिए उपकरण भी स्थापित नहीं किये गये।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने पीएफसी को ब्याज/मूलधन के भुगतान में चूक की तथा किस्तों के समय पर भुगतान के पेटे ₹ 18.15 करोड़ की छूट नहीं ले पाने के अतिरिक्त ₹ 8.47 करोड़ के शास्ति ब्याज एवं उस पर ब्याज चुकाना पड़ा। प्रथम इकाई की स्थापना में 31 माह की देरी से कम्पनी को ₹ 35.40 करोड़ की छूट से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी ने बीजीआर एनर्जी को चुकाये गये प्रवेश कर (₹ 22.74 करोड़) के भुगतान से राज्य सरकार से छूट पाने का कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही, केएटीपीपी भारत सरकार की मेगा पॉवर परियोजना नीति के अन्तर्गत राजकोषीय

परिलाभ लेने के लिए पात्र थी लेकिन कम्पनी ने कभी इसकी संभावनाएं तलाश नहीं की तथा इसलिए, ₹ 431.30 करोड़ के राजकोषीय परिलाभों से वंचित रही।

लेखापरीक्षा अनुशंसाऐं

लेखापरीक्षा अनुशंषाऐं मुख्य रूप से अनुबंध की सामान्य शर्तों/ निविदा शर्तों के अनुसार एलडी एवं बीजीआर एनर्जी को किये गये अन्य अधिक भुगतानों की वसूली; आनुपातिक प्रभारों सहित डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली बांध की लागत की वसूली; पर्यावरणीय मानदण्डों की अनुपालना; तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों के अन्तर्गत परिलाभों को प्राप्त करने के लिए संभावनाएं तलाशने से संबंधित हैं।

3. सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टिकटिंग गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) ने 'ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली' (ओआरएस); ओआरएस के साथ इलैक्ट्रोनिक टिकट जारी करने वाली मशीनों (ईटीआईएम्स) का एकीकरण; एवं रेडियो आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) स्मार्ट कार्ड तैयार करने का कार्य ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई (सेवाप्रदाता) को आउटसोर्स किया (मई 2011)। सेवाप्रदाता द्वारा ओआरएस को मई 2011 में क्रियान्वित किया गया लेकिन ओआरएस के साथ ईटीआईएम्स का एकीकरण लम्बित था (अगस्त 2016)।

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2014-15 एवं 2015-16 (नवम्बर 2015) की अवधि से संबंधित ओआरएस; ईटीआईएम्स एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के इलैक्ट्रॉनिक डाटा का विश्लेषण तथा सेवाप्रदाता के अनुबंधात्मक कार्यनिष्पादन को शामिल किया गया। ईटीआईएम्स से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम 57 डिपोज में से चयनित आठ डिपोज पर आधारित हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन एवं सिस्टम डिजाइन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं। परियोजना प्रबंधन नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन में कमियों पर भी प्रकाश डालती है। सिस्टम डिजाइन विसंगतियों में ईटीआईएम सर्वर के साथ ईटीआईएम्स के एकीकृत नहीं होने; अपर्याप्त वैधता नियंत्रण; एवं व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित नहीं करने को शामिल किया गया। परियोजना प्रबंधन एवं सिस्टम डिजाइन विसंगतियों का निगम के राजस्व पर वित्तीय प्रभाव पड़ा। वित्तीय मामले किराये की कम वसूली; यात्रियों को अनाधिकृत छूट देने; तथा कार्यादेश/ सेवा स्तरीय समझौते के वाक्यांशों के उल्लंघन में सेवाप्रदाता को भुगतान करने से संबंध रखते हैं।

परियोजना प्रबंधन

नियोजन एवं क्रियान्वयन

निगम द्वारा आईटी नीति, आईटी सुरक्षा नीति, पासवर्ड नीति एवं बदलाव नियंत्रण प्रबंधन के लिए नीति नहीं बनाई गई। निगम के आईटी प्रकोष्ठ द्वारा एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली के

प्रत्येक क्रियात्मक क्षेत्र की निगरानी के लिए स्पष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के साथ एक नियोजन/ स्टीयरिंग समिति का गठन भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम के पास ओआरएस के विकास एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड तैयार करने के दौरान आईटी नीतियों एवं क्रियाविधियों के लिए एक ढ़ांचा मौजूद नहीं था। मार्गों में परिवर्तन, सॉफ्टवेयर में किराया, आईटी सम्पत्तियों की सुरक्षा इत्यादि के संबंध में डाटाबेस में सेवाप्रदाता द्वारा किये गये संशोधन किसी पर्यवेक्षी नियंत्रण के अधीन नहीं थे। पासवर्ड नीति के अभाव में बुकिंग विंडो पर स्थापित सिस्टम्स द्वारा अल्फान्यूमेरिक एवं विशेष वर्णों के संयोजन के बिना किसी भी लम्बाई तक के पासवर्ड को स्वीकार किया गया। अनाधिकृत पहुंच के जोखिम को कम करने के क्रम में भिन्न-भिन्न समयांतरालों के बाद उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड बदलने को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी।

साथ ही, निगम के पास उचित व्यावसायिक निरंतरता एवं संकट से उबरने की योजना नहीं थी क्योंकि ईटीआईएम एप्लीकेशन के लिए प्राथमिक डाटा केन्द्र के साथ साथ संकट से उबरने का स्थल एक ही सिस्मिक जोन (डिपो स्तर) में स्थापित किया गया था। डिपो स्तर पर किसी संकट के मामले में ईटीआईएम्स के डाटा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। निगम द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन के बिना सेवाप्रदाता को 'पायलट स्वीकृति परीक्षण' एवं 'उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण' प्रमाणपत्र भी जारी कर दिये गये थे।

परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन

परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन में कमी थी जिसके कारण समझौते/ सेवा स्तरीय समझौते के वाक्यांशों के उल्लंघन में सेवाप्रदाता को भुगतान करने तथा संचालन राजस्व के मिलान नहीं करने को बढ़ावा मिला।

सिस्टम डिजाइन कमियां तथा अपर्याप्त वैधता नियंत्रण

सिस्टम डिजाइन कमियां तथा अपर्याप्त वैधता नियंत्रण महिला एवं वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को छूट अनुमत करने में विसंगतियों के रूप में परिणामित हुई यथा राज्य के बाहर छूट अनुमत करना; अपात्र वरिष्ठ नागरिकों को छूट; पुरुष यात्रियों को महिला छूट; तथा महिला दिवस एवं रक्षाबंधन के अतिरिक्त भी महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा। इसने विद्यार्थी एवं मासिक पासधारक यात्रियों को छूट अनुमत करने यथा एक दिन में एक से अधिक बार यात्रा अनुमत करने; रविवार को मुफ्त यात्रा अनुमत करने; तथा किराये की प्राप्ति के बिना शून्य शेष वाले मासिक पास पर यात्रा अनुमत करने में विसंगतियों को भी बढ़ावा दिया। नियमों को अपर्याप्त रूप से अभिरेखित करने के कारण प्रचलित टैरिफ पर किराया प्रभारित नहीं करने; अंतर्राज्जीय बसों में किराये की कम वसूली तथा आईटी फीस/ दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार/ टोल टैक्स/ मुफ्त यात्रा टिकटों पर मानव संसाधन अधिभार की वसूली के अभाव को बढ़ावा मिला। सिस्टम डिजाइन में कमी भी आरक्षण प्रभारों की वसूली के अभाव तथा निरस्तीकरण प्रभारों की कम वसूली/ वसूली के अभाव में परिणामित हुई।

सॉफ्टवेयर द्वारा व्यावसायिक नियमों के उल्लंघन में दो यात्रियों को समान सीट नम्बर का आवंटन; आरएफआईडी कार्डधारकों को पात्र श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा; 'यात्री नाम अभिलेख' संख्या 18 अंकों से कम; एक टिकिट के समक्ष एक से अधिक निरस्तीकरण आदेश

जारी करने; अवधिपार आरएफआईडी कार्ड पर यात्रा तथा वैध आरएफआईडी कार्ड के बिना छूट इत्यादि को अनुमत किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंषाएं

लेखापरीक्षा, निगम को विभिन्न पहलुओं जैसे आईटी सुरक्षा नीति एवं पासवर्ड प्रबंधन इत्यादि के लिए एक स्पष्ट एवं विस्तृत आईटी नीति बनाने एवं क्रियान्वित करने; ईटीआईएम्स के डाटा के लिए अलग-अलग स्थानों पर प्राथमिक डाटा केन्द्र एवं संकट से उबरने का स्थल स्थापित करने; व्यावसायिक नियमों एवं निगम की आवश्कताओं के अनुसार आगत डाटा एवं निर्गत परिणामों की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आगत नियंत्रणों एवं वैधता जांचों को विकसित करने; संगठन नियमों/ नीतियों, नियमावलियों, सरकारी निर्देशों इत्यादि के अनुसार व्यवसाय के नियमों की अभिरेखा को सुनिश्चित करने; ओआरएस एवं ईटीआईएम्स टिकटिंग एवं वित्तीय डाटा के वास्तविक समय एकीकरण के लिए जनरल पैकेट रेडियो सर्विस मोडयूल के कार्य को सुनिश्चित करने; कार्यसंचालन दक्षता को बढ़ाने एवं आगत गलतियों को कम करने के लिए ईटीआईएम्स की संचालन क्रियाविधियों को आसान बनाने; तथा राजस्व के किसी रिसाव को टालने के लिए आईटी डाटा एवं लेखांकन डाटा के मिलान करने की सिफारिश करती है।

4. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों के नियमों व शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण छः मामलों में ₹ 21.73 करोड़ की हानि/ अतिरिक्त व्यय/ वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9 एवं 4.10)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण चार मामलों में ₹ 9.37 करोड़ की हानि/अतिरिक्त व्यय/वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 4.4, 4.5, 4.6 एवं 4.8)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कॉमन मीटर पठन इंस्ट्रुमेंट (सीएमआरआई)/ हैंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) के माध्यम से मासिक मीटर पठन एवं भार सर्वेक्षण के उद्देश्य से कार्यादेश प्रदान किये परन्तु ठेकेदारों ने सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से पठन के स्थान पर अधिकतर (73.66 प्रतिशत) मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन का कार्य किया। कम्पनी ने मानवीय रूप से मीटर रीडिंग के लिए कार्यादेशों में पर्याप्त वाक्यांशों के अभाव में सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से पठन की निर्धारित दरों पर ठेकेदारों को भुगतान किये।।

(अनुच्छेद 4.1)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटियों द्वारा वर्षा जल संचयन ढ़ांचों (आरडब्ल्यूएचएस) की अनिवार्य स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी व्युहरचना बनाने एवं लागू करने में विफल रही। आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) के निर्णयों/ निर्देशों की अनुपालना के अभाव में कम्पनी/ इकाई कार्यालयों द्वारा इकाई के संविधान में परिवर्तन; भू उपयोग में परिवर्तन; इकाइयों के अंतरण; अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को अनुमत किया गया तथा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना को सुनिश्चित किये बिना मौजूदा मानदण्डों के अनुसार इकाइयों को 'उत्पादनाधीन' मान लिया गया। कई उदाहरण ऐसे भी देखे गये जहां आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना नहीं की गई लेकिन इकाई कार्यालयों द्वारा इन इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस स्थापित करने को प्रमाणित किया गया। ।

(अनुच्छेद 4.3)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे वसूली की क्षतिपूर्ति के लिए गलत क्रियाविधि अपनाई जिससे ₹ 6.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.5)

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निगरानी के अभाव एवं सामग्री, मैसनरी व निर्माण तकनीकों की निम्न गुणवत्ता के कारण हिण्डोन-गंगापुर सिटी रोड़ पर रोड ओवर ब्रिज की एप्रोच वॉल ढ़ह गई। इसके कारण लोक धन का अपव्यय हुआ तथा सुधार कार्य के पेटे कम्पनी पर ₹ 5.19 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न हुआ।

(अनुच्छेद 4.9)